

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प041/2018/83

दिनांक : 15/10/2018

—: संशोधित आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चिअ/एटी/प041/2018/82 दिनांक 05.10.18 के द्वारा क्रम संख्या 09 पर अंकित डा0 अंशुल जोशी, चि0अ0 का पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकारदा, डूंगरपुर के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकारदा, चित्तौडगढ़ पदा जावे।

नियुक्ति आदेश की शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प041/2018/83

दिनांक : 15/10/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1) विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- 2) विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
- 5) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 6) संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
- 10) संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय मूल दस्तावेज की जांच व संतानों/तम्बाकू सेवन नहीं करने के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादी-शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की पुष्टि कर अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख ले तथा आर. एम. सी. के रजिस्ट्रेशन की भी जांच करें तथा रजिस्ट्रेशन एवं इन्टरशिप पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भी कार्यग्रहण नहीं करावे।
- 11) संबंधित चिकित्सक को विभाग की वेबसाईट <http://www.rajswasthya.nic.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
- 12) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 13) प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।
- 14) कम्प्यूटर सैल/आदेश पत्रावली/निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।